न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–कमर चौधरी
आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 95/2010 अंतर्गत धारा 14(4)

सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा जिला दौसा
..प्रार्थी

बनाम

1. लाला पुत्र परसा कौम बंजारा निवासी बापी तहसील दौसा (फोत)
   1.1.अर्जुन पुत्र लाला
   1.2 हाकम पुत्र लाला
   1.3 जावत्री पुत्री लाला जाति बंजारा निवासी बापी तहसील दौसा जिला दौसा राजस्थान
..अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अ0धा0 14 (4) भू–आवण्टन नियम–1970

उपस्थित–1. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय
दिनांक: 20.01.2023

संक्षिप्त वृतांत प्रा0 पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 21.6.1989 को ग्राम बापी तहसील दौसा के आ0ख0नं0 2098/1 रकबा 0.40 है0 भूमि का आवंटन अप्रार्थी लाला पुत्र परसा बंजारा को किया गया। अप्रार्थी द्वारा आवण्टन की शर्तो की पालना नहीं करने के कारण तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) भू–आवण्टन नियम–1970 के तहत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रा0 पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय का ल अभिलेख तलब किया गया।

राजक.य अधिवक्ता की बहस में दलील है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी लाला पुत्र परसा जाति बंजारा निवासी बापी को दिनांक 21.6.1989 को ग्राम बापी तहसील दौसा के आ0ख0नं0 2098/1 रकबा 0.40 है0 भूमि का आवंटन किया गया था। भूमि आवंटन होने पर नामां0 सं0 92 दिनांक 18.4.1990 को आवंटी के पक्ष में गैर खातेदारी दर्ज हुई। किंतु आवंटी/अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की गई। मौके पर भूमि खाली (पडत) पडी हुई हैं। भूमि आज तक भी गैर खातेदारी दर्ज है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी/भू अभिलेख निरीक्षक के आवंटी/गैर खातेदार ने उक्त आवंटित की गई भूमि पर कब्जा काश्त नहीं की जाकर भूमि उपयोग में नहीं ली गई है। आवंटी ने आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की गई है। आवंटन की शर्तो की पालना नहीं होने के कारण आवंटन निरस्त योग्य है। अतः अप्रार्थी को किया गया प्रश्नगत आवंटन निरस्त किया जावे।

अप्रार्थीगण/आवंटी के अधिवक्ता को बार–2 आवाज दिलवाई किन्तु उपस्थित नहीं आये। अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 13:20:33 IST
Reason: SelfAttested

....निरन्तर 2 पर

प्रा0 पत्र सं0 95/2010 अंतर्गत धारा 14(4)

राजकीय अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजकीय अधिवक्ता की एकतरफा बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवंटन सलाहकार समिति कैम्प बापी द्वारा दिनांक 21.6.1989 को आवंटी लाला पुत्र परसा जाति बंजारा निवासी बापी तहसील दौसा को ग्राम बापी स्थित आराजी खसरा नंबर 2098/1 में से 0.40 है0 भूमि आवंटित की गई थी। भूमि आज दिनांक तक गैर खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। पत्रावली में संलग्न खसरा गिरदावरी संवत 2056 से 2058 व संवत 2065 से 2068 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि पडत पडी हुई है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है। आवंटन सलाहकार समिति मुकाम बापी द्वारा दिनांक 21.6.1989 को आवंटी लाला पुत्र परसा जाति बंजारा निवासी बापी को आवंटित की गई प्रश्नगत भूमि पर आवंटन शर्तों की पालना नही करने से उक्त आवंटन खारिज किया जाना हम उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14 (4) स्वीकार किया जाता है। आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 21.6.1989 कैम्प बापी द्वारा ग्राम बापी में आवंटी लाला पुत्र परसा जाति बंजारा निवासी बापी के पक्ष में आराजी खसरा नंबर 2098/1 में से 0.40है. का किया गया आवंटन खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा को प्रेषित की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 20 जनवरी,2023 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 13:20:33 IST
Reason: SelfAttested